राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 249/2012

मंजू बाला आनन्द **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्रारंभिक विद्यालय, पन्नीगारां, मोती कटला, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.05.2012
आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित व्यास, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अध्यापिका के पद पर रा.प्रा.वि. पन्नीगरान, मोतीकटला, जयपुर कार्यरत थी। अपीलार्थी द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु दिनांक 01.02.2011 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 20.02.2011 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही गई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार कर आदेश दिनांक 01.02.2011 (अनुलग्नक–1) पारित किया, जिसमें अपीलार्थी को दिनांक 20.02.2011 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई। इसके पश्चात अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 14.02.2011 प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित किया, जिसमें उसने अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आदेश को निरस्त कर पुनः राजकीय सेवा में जारी रखने की प्रार्थना की। उक्त प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर को भेजा गया, लेकिन प्रत्यर्थी ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 20.02.2011 को अकार्य दिवस होने के कारण दिनांक 19.02.2011 को मध्याह्न पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई (अनुलग्नक–3), जो अनुचित है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 20.02.2011 को होनी थी, परंतु उसके पूर्व ही अपीलार्थी ने अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रार्थना पत्र को प्रत्याहरित किये जाने हेतु प्रार्थना

पत्र प्रत्यर्थी विभाग को दे दिया था। इस कारण से अपीलार्थी को सेवानिवृत्त किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2002(2) WLC 662 श्रीमती भगवत कंवर एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना है कि याची की सेवानिवृत्ति का आवेदन दिनांक 09.08.1995 को दिया गया और सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.1995 को चाही गई थी। याची ने प्रत्याहरण का आवेदन दिनांक 29.11.1995 को दिया। स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव दिनांक 28.11.1995 को स्वीकृत हुआ था और सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.1995 से प्रभावी होनी थी। सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि से पूर्व ही प्रत्याहरण कर लिया था। इसलिए अपीलार्थी का भी प्रत्याहरण स्वीकार किया जाना चाहिए था। इसके अलावा अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय (1996)8 SCC 283 बलबीर सिंह नेगी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया प्रस्तुत किया है, जिसमें यह माना गया है कि जिस तारीख से स्वीकृति प्रभावी होनी है, उससे पूर्व ही यदि प्रत्याहरण कर लिया गया है तो प्रत्याहरण स्वीकार किया जा सकता है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के आवेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.02.2011, जिसके द्वारा अपीलार्थी अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विधालय पन्नीगरान, जयपुर को दिनांक 20.02.2011 को स्वेच्छिक सेवानिवृत किया गया। तद्नुसार प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय पन्नीगरान जयपुर ने स्वेच्छिक सेवानिवृति के क्रम में कार्यमुक्त किया गया। उनका यह भी कथन है कि जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर को दिनांक 14.02.20211 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ था। उनका आगे यह कथन है कि अपीलार्थी ने दिनांक 15.02.2011 को प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विधालय, पन्नीगरान (मोतीकटला) जयपुर के समक्ष तथा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 20.01.2011 के क्रम मे पारित आदेश दिनांक 01.02.2011 को यथावत रखने की प्रार्थना की तद्नुसार अपीलार्थी के स्वैच्छिक सेवानिवृति संबध मे जारी आदेश दिनांक 01.02.2011 एवं 20.02.2011 पुर्णतया विधिसम्मत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिनांक 01.02.2011 को ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसके पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को प्रत्याहरित नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का कथन रहा है कि

अपीलार्थी की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को प्रत्याहरित किये जाने का कोई पत्र प्रार्थी संख्या–2 को प्राप्त नहीं हुआ था।

4. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. यह सही है कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50 (4) में वर्ष 2016 में संशोधन किया गया है। संशोधन से पूर्व ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि स्वेच्छिक सेवानिवृति के प्रार्थना पत्र को मंजूर किये जाने के बाद प्रार्थना पत्र प्रत्याहारित नहीं किया जा सकता हो। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी न्यायिक दृष्टांत 2002(2) WLC 662 श्रीमती भगवत कंवर एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में यह माना है कि सेवानिवृति की प्रस्तावित तिथि से पूर्व प्रत्याहरण किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी ने अपने स्वेच्छिक सेवानिवृति के प्रार्थना पत्र को सेवानिवृति से पूर्व प्रत्याहारित किया है या नहीं। अपीलार्थी की ओर से दस्तावेज अनुलग्नक–2 प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 14.02.2011 का है, जिसमें अपीलार्थी ने स्वेच्छिक सेवानिवृति के आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग की ओर से दस्तावेज अनुलग्नक–आर/3 प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 15.02.2011 का है, जिसमें अपीलार्थी नेयह अंकित किया था कि मानसिक परेशानियों तथा असमंजस की स्थिति में उसकी स्वेच्छिक सेवानिवृति निरस्त करने के लिये उसने दिनांक 14.02.2011 को आवेदन किया था, परन्तु अब उसने बिना दबाव के तथा पूर्ण विश्वास से निर्णय लिया है कि उसे सेवानिवृति दी जाए। इस प्रकार अपीलार्थी ने सेवानिवृति की स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त वास्तविक सेवानिवृति की दिनांक से पूर्व दिनांक 14.02.2011 को स्वेच्छिक सेवानिवृति के प्रत्याहरण का प्रार्थना पत्र दिया। उसने दिनांक 15.02.2011 को वापस सेवानिवृति चाही। अतः इन दस्तावेजों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने प्रत्याहरण के प्रार्थना पत्र को पुनः प्रत्याहारित कर लिया था। अतः अन्त में सेवानिवृति ही चाही गयी। इस संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अनुलग्नक–आर/3 केवल मात्र प्रधानाध्यापक को दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में अपीलार्थी का प्रत्याहरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2011 ही माना जाएगा।

6. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा इस बात पर आपत्ति नहीं की गयी है कि उसने दिनांक 15.02.2011 को प्रार्थना पत्र दिया था, बल्कि वो दिनांक 15.02.2011 को प्रार्थना पत्र देना स्वीकार करती है। उसकी केवल यह आपत्ती रही है कि दिनांक 15.02.2011 का प्रार्थना पत्र सम्बन्धित अधिकारी के पास नहीं पहुंचा। हम

अपीलार्थी के उपरोक्त तर्को से सहमत नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी ने दिनांक 15.02.2011 का प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी विभाग को दे दिया था, जो प्रत्यर्थी विभाग के रिकॉर्ड का भाग है। ऐसे में अपीलार्थी ने अपने स्तर पर सेवानिवृति के प्रत्याहरण का प्रार्थना पत्र वापस ले लिया था। सेवानिवृति पश्चात अब अपीलार्थी को यह अधिकार नहीं है कि उसके द्वारा दिनांक 15.02.2011 के प्रार्थना पत्र को नजर अंदाज किया जाए। प्रकरण में प्रस्तुत हुए तथ्यों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी स्वेच्छिक सेवानिवृति के प्रत्याहरण का जो प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2011 को दिया था, उसने उसे दिनांक 15.02.2011 को वापस ले लिया। ऐसे में अपीलार्थी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह स्वेच्छिक सेवानिवृति के प्रार्थना पत्र का प्रत्याहरण नहीं चाहती है। ऐसे में अपीलार्थी को दी गयी स्वेच्छिक सेवानिवृति में कोई त्रुटि होना हम नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)